राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8072/2023

1. प्रितिका गहलोत पुत्री जगदीश राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मालियों का बास, पीपाड़ रोड, सालवा खुर्द, जिला जोधपुर।

2. पूजा वैष्णव पुत्री शम्भू लाल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी बापू नगर, माता का थान, जोधपुर।

3. लता डांगी पुत्री राजू राम डांगी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी राम श्याम केमिकल फैक्ट्री के सामने, सुभाष कॉलोनी, पीपाड़ सिटी, जोधपुर ।

4. सपना कुमारी पुत्री महावीर सिंह मीणा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी 31, मीणा का मौहल्ला, चकवास, झुंझुनू ।

5. कविता पुत्री प्रभु दयाल झोटवाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी पटवारी का बास, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

6. अजय चौहान पुत्र पारस मल, उम्र करीब 24 साल, निवासी सरगरो का बास, राजादंड, पाली।

7. राजेश कुमार मीना पुत्र मुंशी राम मीना, उम्र करीब 29 साल, निवासी सागौर पोस्ट संतनगर ठा. बाड़ी, धौलपुर 328021।

8. भावना पुत्री प्रकाश, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी आचार्यों का बास, थाना गंगाणी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

9. पूजा प्रजापत पुत्री श्याम प्रजापत, उम्र करीब 23 साल, निवासी गायत्री कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।

10. पूजा चौधरी पुत्री सुजा राम, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी डुडियों का बास, रतकुरिया, जिला जोधपुर।

11. गणपत सिंह पुत्र मग सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी तिंवरी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। पिनकोड 342306

12. सुनीता चौधरी पुत्री कालू राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी खिंवताना, तहसील डेगाना, जिला नागौर।

13. प्रकाश पुत्र अगरा राम, उम्र करीब 23 साल, निवासी मालियों का बास, बस्सी नगर, बड़ला बासनी, तिंवरी, जिला जोधपुर।

14. अशोक देवासी पुत्र हनुमान राम, उम्र करीब 22 साल, निवासी देवासियो का बास, रूडिया, जिला जोधपुर।

15. मीनाक्षी सेंवर पुत्री भंवर लाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी आशापूर्ण बसेरा के पास, पाल गांव, जोधपुर।

16. संतोष पुत्री प्रकाश चंद गहलोत, उम्र करीब 23 साल, निवासी कानावास रोड, बलूंदा, जैतारण, जिला पाली।

17. राधिका पारीक पुत्री कल्याण पारीक, उम्र करीब 22 साल, भाटियों का निवासी का बास, मगरा पुंजला, जोधपुर .

18. शुभम काला पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी 67, बोयल हाउस, गांधीपुरा, पहली स्ट्रीट, रसाला रोड, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर।

19. ममता पुत्री बाबू राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी भाखरी की ढाणी, सिंधीपुरा, जोधपुर ।

20. दुर्गा कंवर पुत्री पूरण सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 27/110, महावीर नगर, नांदड़ी बनाड रोड, जोधपुर।

21. खुशबू पुत्री रावल राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 52, सेक्टर-03, रामराज नगर, चोखा, जोधपुर ।

22. चंद्रकला पंवार पुत्री नारायण राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी 3-ई-52, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

23. विमला पुत्री लिछमन राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी अमरोजी भाटी की ढाणी, बिरानी, भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

24. खुशबू इंदा पुत्री किशन सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी भगवान महावीर नगर, नांदड़ी रोड, जोधपुर।

25. जीता राम पुत्र काना राम, उम्र करीब 23 साल, निवासी छाबो की ढाणियां, बावड़ी, जिला जोधपुर।

26. प्रमिला पुत्री दीपा राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम चंडालिया, पोस्ट घेवाड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

27. किंजल खराड़ी पुत्री हरि शंकर खराड़ी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5, नवा घरा, विकास नगर, जिला डूंगरपुर।

28. जगदीश चन्द्र पुत्र दीपा राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम चम्पासर, तहसील घंटियाली, जिला जोधपुर।

29. विष्णु विश्नोई पुत्र रूपाराम विश्नोई , उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी भादुओ की ढाणिया, गांव रसीदा, जिला जोधपुर।

30. सीमा खान पुत्री बुंदू खान, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी रानीवाड़ा कलां, रानीवाड़ा, जिला जालोर.

31. पूजा वैष्णव पुत्री नन किशोर वैष्णव, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी गांव बोरुंदा, तहसील पीपाड़, जिला जोधपुर।

32. ललिता खोखर पुत्र आईदान राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी खिंवताना, नागवी, डोटीना, जिला जोधपुर।

33. सुमन पटेल पुत्री लेखू राम पटेल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी संतूहपुरा मसूरिया, पाल रोड, जोधपुर।

34. उर्मिला पुत्री शंकर लाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी लोलो की ढाणी, खाबड़ा कलां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

35. झूमर राम पुत्र अणदा राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी श्री कृष्णा नगर, आऊ, जिला जोधपुर।

36. नीतू मेहरा पुत्री हनुमान राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी सालवा कलां, बनाड़, जिला जोधपुर।

37. पुष्पा पुत्री धोकल राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी हरधनी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

38. दीक्षित राठौर पुत्र मांगी लाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी बेरा झालरा, बिंजवाडिया रोड, बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

39. पूर्णिमा चौधरी पुत्री गोमा राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी राजाडुंड रोड, गरनिया, जिला पाली .

40. डिम्पल पुत्री माला राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी जालखा, पोस्ट सिलारी, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

41. ममता पुत्री चैना राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी रावो मेरा बास, बारा कल्लां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

42. भावना पुत्री पुका राम चौधरी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी आंगणवा, मंडोर, पोस्ट सुरपुरा, जोधपुर।

43. चंचल छाबा पुत्री सुनील छाबा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी चौधरी कॉलोनी, सुबदंड, जिला नागौर।

44. भानु प्रिया टाक पुत्री चवर लाल टाक, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी न्यू नागौर रोड, चैनपुरा, मंडोर, जोधपुर ।

45. माया कुमारी डेंडोर पुत्री मावजी डेंडोर, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी पारदा दरियाटी, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर।

46. रेखा पारगी पुत्री मणि लाल पारगी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी दमन उर्फ दानाला पोस्ट चितरी, तहसील गलियालकोट, जिला डूंगरपुर।

47. अनिता जाट पुत्री राकेश कुमार जाट, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी उतराड़ा मौहल्ला वार्ड नंबर 24 रामगढ रामगढ (ग्रामीण) सीकर

48. सीमा पुत्री संत सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी किर्तन, बावर, जिला चूरू .

49. रेखा पुत्री राजेंद्र कुमार, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी महपालवास, जिला झुंझुनू।

50. सुमन पुत्री रामबक्श, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी बासनी सेजा, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर।

51. धर्म वीर सिंह पुत्र नरपत सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी राजपूतो का वास, तेलवाड़ा, जिला बाड़मेर।

52. मंजू पुत्री ताजा राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी सियोलो की ढाणियाँ, नदियाई खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

53. किरण आचार्य पुत्री सेवा राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी आचार्यों का बास, गंगानी, जिला जोधपुर।

54. शीतल आचार्य पुत्री नरेंद्र कुमार आचार्य, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 114, रामनगर खसरा क्रमांक 98,। पीएफ़ कार्यालय के सामने, विजय मैरीज़ पैलेस नंदनवन के पीछे, जोधपुर।

55. मोनिका प्रजापत पुत्री रामचन्द्र प्रजापत, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी 114, ईस्ट पटेल नगर, गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर।

56. पूजा डूडी पुत्री जयसिंह डूडी, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी डूडियों का बाड़ा, रतकुरिया, जिला जोधपुर।

57. जया सोनगरा पुत्री मगराज सोनगरा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी K-254 के सामने, इंद्रा कॉलोनी, प्रताप नगर, जोधपुर ।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान सरकार, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर.

3. अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।

4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर।

5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, नर्सिंग स्कूल, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए	:	श्री हनुमान सिंह चौधरी
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	सुश्री राखी चौधरी

माननीय श्री न्यायाधिपति जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

03/03/2025

1. याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ एक उचित रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग की है, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक 05.05.2023 के विज्ञापन के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए कोविड स्वास्थ्य सहायक (सीएचए) को प्रदान किए गए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते समय बोनस अंक प्रदान करने के लिए कोविड-19 के दौरान प्रदान की गई उनकी सेवाओं पर विचार करें।

2. संक्षेप में, याचिका में प्रस्तुत तथ्य यह है कि कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा कर्मचारियों की कमी के कारण याचिकाकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया गया। जीएनएम पाठ्यक्रम कर रहे याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के बावजूद, राज्य

सरकार ने सर्वेक्षण करने और घर-घर जाकर दवाइयाँ वितरित करने के लिए सीएचए की भी भर्ती की।

2.1. प्रतिवादियों ने नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए 16.11.2022 को एक विज्ञापन जारी किया। एक रिट याचिका, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 18156/2022 (रितेश गोचर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) जयपुर पीठ में दायर की गई थी, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्तागण 16.11.2022 के विज्ञापन के अनुसार नर्सिंग अधिकारी/फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन पत्र जमा करते समय अपने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए।

2.2. रिट याचिका का निपटारा दिनांक 01.02.2023 के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी दिनांक 03.05.2021 के आदेश/परिपत्र के अनुसार महामारी के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सी.एच.ए. को बोनस अंक देने के मुद्दे का समाधान करेंगे।

2.3. भारत सरकार द्वारा जारी आदेश/परिपत्र दिनांक 03.05.2021 और इस न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 01.02.2023 के आदेश में दिए गए निर्देशों के आलोक में, प्रतिवादियों ने सीएचए के मामले की समीक्षा की और उन्हें नर्स ग्रेड-II के पद के लिए नियमित भर्ती में बोनस अंकों के लिए पात्र माना। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों ने दिनांक 16.11.2022 का पूर्व विज्ञापन वापस ले लिया।

2.4. प्रतिवादी विभाग ने दिनांक 25.04.2023 के आदेश द्वारा, 22.03.2020 से 13.02.2022 तक महत्वपूर्ण कोविड-19 अवधि के दौरान चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले उम्मीदवारों को बोनस अंक प्रदान किए। आदेश के अनुसार, कोविड-19 अवधि के दौरान दो साल तक की सेवाएं देने वालों को 15 बोनस अंक प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी चिकित्सा विभाग ने 2023 में चिकित्सा और पैरामेडिकल सेवाओं के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

2.5. प्रतिवादियों ने 05.05.2023 को नर्सिंग अधिकारी पद के लिए एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया, जिसमें उन्होंने बोनस अंक देने के उद्देश्य से कोविड-19 अवधि के दौरान सेवाएं प्रदान करने वाले सीएचए की उम्मीदवारी पर विचार किया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के मामले में, प्रतिवादी सीएचए के रूप में बोनस अंकों के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं कर रहे हैं। अतः, यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में यह तर्क दिया गया है कि सीएचए के पद के लिए, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कार्य और कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर समानता का दावा किया है, जीएनएम पाठ्यक्रम पूरा करने और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होने की योग्यता आवश्यक है। हालाँकि, संबंधित समय पर, याचिकाकर्ता अभी भी पाठ्यक्रम कर रहे थे और उनके पास अपेक्षित व्यावसायिक योग्यता नहीं थी।

3.1. दिनांक 25.04.2023 के कार्यालय आदेश के अनुसार, जिसमें बोनस अंक प्रदान करने हेतु पात्रता मानदंड निर्धारित हैं, याचिकाकर्ता बोनस अंक प्राप्त करने की योग्यताएँ पूरी नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता न तो संविदा आधार पर नियुक्त थे और न ही अस्थायी आधार पर, इसलिए वे ' कर्मचारी ' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते, जो बोनस अंक प्राप्त करने के हकदार हैं।

3.2. बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने के वैधानिक प्रावधान, 1965 के नियम 19 में दिए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बोनस अंक प्रदान करने के मानदंड और उस अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता की शर्तें निर्धारित करना, जिस पर ऐसे अनुभव का

लाभ आधारित है, राज्य सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। उचित मंच के समक्ष इस नियम को किसी भी चुनौती के अभाव में, रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. याचिकाकर्ताओं के दावे के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना उचित है कि मामले के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा सकारात्मक रूप से स्वीकार की गई स्थिति यह है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में कोविड अवधि के दौरान इंटर्नशिप करने का लाभ मांग रहे हैं, जबकि वे जीएनएम में डिप्लोमा कर रहे थे।

6. याचिकाकर्ताओं के वकील से यह स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या इंटर्नशिप पूरी किए बिना डिप्लोमा प्रदान किया जा सकता है, तो उत्तर नकारात्मक है। अतः, यह स्पष्ट है कि इंटर्नशिप, संबंधित डिप्लोमा के शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसे रोज़गार नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह छात्र जीवन की निरंतरता है। केवल इसी आधार पर याचिकाकर्ता यह दावा करते हुए बोनस अंकों का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं कि वे रोज़गार में थे और/या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके थे, इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त, मेरा ध्यान इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा प्रमिला एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14794/2022 के मामले में दिनांक 23.01.2023 को दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के समान स्थिति वाले समकक्षों के दावे को खारिज करके इसी प्रकार के विवाद को पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

8. मैं अपने विद्वान भाई द्वारा उपरोक्त निर्णय में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से आदरपूर्वक सहमत हूँ। संक्षिप्तता के कारण इसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

9. तदनुसार निरस्त की गई।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

46-ए.के. चौहान /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए फिट हैं : हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी